

22/11/24

मिसल आज पेश हुई।

वकील वादी गैर हाजिर। वकील

वादी तथा वादीगण को रुक-रुक कर तीन-तीन  
बार आवाज लगाई गई तथा इनका न्यायालय  
समय तक इंतजार किया गया, फिर भी गैर  
हाजिर रहने के कारण प्रकरण अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारीज बिधे जाने के आदेश  
डिये जाते हैं। निष्पत्ति मेरे द्वारा सर-ए-इजलास  
सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर संख्या  
से कम होकर दाखिल दफतर हो।

22/11/24

उप खण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला, भीलवाड़ा